संख्या-35/3298/26-1-2014-2673/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 25 नवम्बर, 2014

विषय:- वेतन समिति(2008) के पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2011 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को कार्यरत पद के वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-596/स0क0/विकास/2014, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के निर्णय दिनांक 30 अगस्त, 2013 के माध्यम से मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के संबंध में वेतन समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को संलग्न तालिका के स्तम्भ-2 में इंगित शिक्षकों के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ-4 में वेतन निर्धारण, स्तम्भ-5 में ग्रेड वेतन, स्तम्भ-7 में इंगित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य मॅहगाई भत्ता (न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर) तथा स्तम्भ-8 में इंगित संविदा धनराशि तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्तानुसार विभाग में संविदा पर कार्यरत संबंधित पदधारकों का वेतन/ग्रेड वेतन शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008टीसी, दिनांक 30-08-2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त ऐसे कार्मिक जो सेवानिवृत्ति के पश्चात उसी पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं, उनकी संविदा धनराशि का निर्धारण उनको अन्तिम प्राप्त वेतन में से उनकी राशिकरण के पूर्व प्राप्त हो रही पेंशन एवं मॅहगाई राहत के योग की धनराशि को घटाते हुए इस प्रतिबन्ध के अधीन निर्धारित की जायेगी कि इस प्रकार निर्धारित धनराशि की अधिकतम सीमा संलग्न तालिका में संबंधित पद के समक्ष स्तम्भ-8 में उल्लिखित धनराशि से अधिक न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-ई-3-2422/दस-2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-35/3298(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1/2(तीन-तीन प्रतियों में)।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
8- समाज कल्याण अनुभाग-2/3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in